न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारादेवी बनाम गौरीशंकर वगैरह

किस्म मुकदमाः–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 162/2026 (अजमेर)

दिनांक 8/4/26

	श्री रूपक शर्मा	
	तारादेवी बनाम गौरीशंकर वगैरह (2026/162)	
08.04.2026	यह अपील श्री रूपक शर्मा एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर मु0 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 134/2025 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2026 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत निवेदन किया कि आक्षेपित आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय जारी किया गया अन्तरिम स्थगन आदेश है जिससे स्पष्ट है कि उक्त आदेश अपीलार्थीगण की गैर मौजूदगी में एकपक्षीय रूप से पारित आदेश है। उक्त आक्षेपित आदेश की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय के सम्मन अपीलार्थीगण को प्राप्त होने पर अपीलार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 26.02.2026 का अवलोकन करने पर हुई है। उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 26.02.2026 को होने से अन्दर मियाद उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर आक्षेपित निर्णय की जानकारी दिनांक 26.02.2026 से अन्दर मियाद मानी जाकर उक्त अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। बाद अवलोकन अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है तथा आर0बी0जे0 (21) 2014 पेज संख्या 472 के न्यायिक दृष्टांत में अंकन है कि " **Purpose of Rules of limitation is not to destroy the rights of the parties, rather the idea is that every legal remedy must be kept alive for a legislatively fixed period of time.**" इस अनुसार हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोष एवं सद्भाविक प्रतीत होने से प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं कर मेरिट पर किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपील प्रस्तुती में हुयी देरी को न्यायहित में कन्डोन कर प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।** तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद	

लगातार....

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारादेवी बनाम गौरीशंकर वगैरह

किस्म मुकदमा:–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 162/2026 (अजमेर)

–श्री दीपक शर्मा

लगातार....

अवलोकन हमने पाया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया जिस पर दिनांक 19.01.2026 को प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का जवाब पेश नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से जो उज्र उठाये गये है वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब के साथ प्रस्तुत कर विधिक रूप से उपचार प्राप्त कर सकते है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब पेश नहीं किया गया है एवं सीधे ही अपील प्रस्तुत की है।

अतः न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर बिना गुणावगुण पर टिप्पीणी किये निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

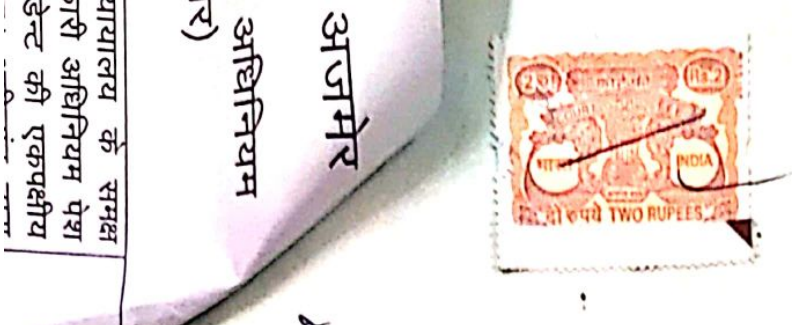

अजमेर
अधिनियम
(र)
न्यायालय के समक्ष
गरी अधिनियम पेश
डेन्ट की एकपक्षीय

श्री रूपक शर्मा एड० ने अपील पेश की अपील मय जांच रिपोर्ट हेतु पेश है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर 8/4/26

162/2026 8/4/26

न्यायालय श्रीमांन् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर

प्रथम अपील संख्या ...162.../2026

2026/162

1. तारा देवी मालाकार पत्नी पवन कुमार भाटी
2. संतोष देवी पत्नी सुनील कुमार भाटी

सर्व निवासीगण कृष्णापुरी, गदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

3. मैना भाटी पुत्री सुजानमल
4. धूलाराम पुत्र रामचन्द्र

सर्व निवासीगण ग्राम सराना तहसील अजमेर जिला अजमेर राजस्थान

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. गौरी शंकर पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी ग्राम सराना तहसील अजमेर जिला अजमेर राजस्थान

----प्रत्यर्थी

2. ममता पत्नी राजेश कुमार भाटी
3. किशना गोदपुत्र चन्द्रा
4. भंवरलाल गोदपुत्र किशना
5. नेमा पुत्र उद्धा
6. नाथी पत्नी तेजा
7. हरजी पुत्र गणेश
8. रूपचन्द पुत्र हरजी
9. छोटूलाल पुत्र हरजी
10. नोरतमल पुत्र हरजी
11. अशोक पुत्र रामदयाल
12. अरूण पुत्र रामदयाल
13. मंजु पुत्री रामदयाल
14. संजु पुत्री रामदयाल

Rupak

Scanned with CamScanner

15. बालु पुत्र बागा

16. ताराचन्द पुत्र लालाराम

17. मनोहर लाल पुत्र लालाराम

समस्त जाति माली सर्व निवासीगण ग्राम सराना तहसील अजमेर जिला अजमेर राजस्थान

18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, अजमेर जिला अजमेर

19. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, अजमेर

---प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् सहायक कलक्टर महोदय, अजमेर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 134/2025 बउनवान गौरीशंकर बनाम तारा देवी वगैरह में पारित एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 19.01.2026 के विरूद्ध अपील

महोदय,

अपीलार्थीगण की ओर से निवेदन है कि :-

अपील के संक्षिप्त :-

यह कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कृषि आराजी खसरा संख्या 1343, 1359, 1567, 1587, 1588, 1592, 1594, 931, 933, 934, 935, 500, 702, 703, 704, 706, 707, 1331, 1332, 949 के विभाजन हेतु वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था। जिसके साथ ही अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र उक्त सामलाती आराजी के ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमाये जाने हेतु संस्थित किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुचित किये बगैर एकतरफा स्थगन आदेश (आक्षेपित आदेश) दिनांक 19.01.2026 को पारित कर अपनी सहखातेदारी कब्जे काश्त अधिकार आधिपत्य की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित किये जाने के उद्देश्य से वादी द्वारा मिथ्या तथ्यों के

Scanned with CamScanner